सं0 I/ /2025 ई. 88820

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक** **अगस्त, 2025**

विषय :– जनपद हरिद्वार की हरिद्वार शाखा के अन्तर्गत छावनी बी0पी0ए0आर0डी0 रूड़की में पम्पिंग जलापूर्ति योजना का सुदृढीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1765/TAC/2025–26 दिनांक 20 जून, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार की हरिद्वार शाखा के अन्तर्गत छावनी बी0पी0ए0आर0डी0 रूड़की में पम्पिंग जलापूर्ति योजना का सुदृढीकरण कार्य की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 78.65 लाख में सम्मिलित सैंटेज की धनराशि ₹ 7.54 लाख को कम करते हुए ₹ 71.11 लाख (₹ इक्हत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 42.666 लाख (₹ बयालीस लाख छियासठ हजार छः सौ मात्र) धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(i) विषयगत कार्य को कराये जाने से पूर्व यदि किसी अन्य विभाग/सक्षम स्तर के अनुमोदन/सहमति की आवश्यकता हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमोदन/सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। धनराशि को किसी भी स्तर पर किसी भी दशा में पार्क नहीं किया जायेगा।

(iv) योजना के अन्तर्गत समस्त घटकों/संरचनाओं की जी0आई0एस0 मैपिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(x) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर जी जाए।

(xii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(xv) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष एजेन्सी से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvi) कार्य को आंगणन में उल्लिखित मदों, मात्राओं एवं डिजायन के अनुसार सम्पादित कराने का उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं संबंधित अभियन्ताओं का होगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–05–नगरीय पेयजल–02–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढीकरण–53–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश व्यय वित्त नियन्त्रण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/318781 /2025 दिनांक 01 अगस्त, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 01-08-2025
17:32:24

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0–88820/(1)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 01-08-2025
18:10:07

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।